

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित।

P.O. सा. चुनाव कार्य में व्यस्त है।

पत्रावली पेश करने के लिए प्रार्थना है।

दि. 26.06.24 को पेश होवे।

(हस्ताक्षर)
(सिद्धा)

गोपनीय
26/6/24

26.06.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान
उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण
में व्यायात्म की अब तक की
कार्यवाही से संतुष्ट होते हुए एवं
आगे कार्यवाही नहीं चाहते हुए
प्रकरण नोट-प्रेस करने का निवेदन
किया। वकील पक्षी द्वारा नोट-
प्रेस करने के माहारा पर प्रकरण

खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल
शुमार होकर सोलगत मूल वाद रहे।


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा